रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, अप्रैल 29—मई 5, 2012, शनिवार/वैशाख 9—वैशाख 15, 1934
No. 10] NEW DELHI, APRIL 29—MAY 5, 2012, SATURDAY/VAISAKHA 9—VAISAKHA 15, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

का.नि.आ. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' (लिपिकीय) पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' (लिपिकीय) पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' (लिपिकीय) पद, भर्ती नियम, 2010 में—

(क) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,

(I) स्तंभ (12) के अधीन विद्यमान 'टिप्पण 1' और 'टिप्पण 3' के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

"**टिप्पण 1:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गयी सेवा समझी जायेगी ।

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2012

का.नि.आ. 26.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' (भंडारपालन) पद भर्ती नियम, 2010 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' (भंडारपालन) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' (भंडारपालन) पद, भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में—

(क) क्रमांक संख्या 1 जो ज्येष्ठ भंडारी पद से संबंधित है —

(i) स्तंभ (7) के अधीन विद्यमान 'टिप्पण 2' और 'टिप्पण 3' के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"**टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी ।"

(ii) स्तंभ (11) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा"

(सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा)

(iii) स्तंभ (12) के अधीन विद्यमान 'टिप्पण 1' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**टिप्पण 1:** प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना में किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"

(iv) स्तंभ (13) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति [(i) प्रोन्नति; और (ii) सीधे भर्ती किए गये व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विचार के लिए)] निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. अपर नियंत्रक या संयुक्त नियंत्रक, क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (गोला बारूद), खड़की, पुणे —अध्यक्ष
2. क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (गोला बारूद), खड़की, पुणे से एक समूह 'क' आफीसर —सदस्य
3. क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरी उपष्कर), औंध कैंप, पुणे से एक समूह 'क' आफीसर —सदस्य
4. क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), पुणे से एक समूह 'क' आफीसर —सदस्य
5. प्रशासन निदेशालय, नियंत्रणालय, मुख्यालय, महानिदेशालय क्वालिटी आश्वासन से एक समूह 'क' आफीसर —सदस्य"

(ख) क्रमांक 2 जो भंडारी पद से संबंधित है—

(i) स्तंभ (7) के अधीन विद्यमान 'टिप्पण 1' और 'टिप्पण 2' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**टिप्पण** : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।"

(ii) स्तंभ (11) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती से ।"

[फा. सं. ए/86320/आर आर/एस के/डीजीक्यूए/प्रशा-10/783/डी(क्यू ए)/2012]

सुभाष चंद, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में तारीख 16 अक्तूबर, 2010 को का.नि.आ. संख्यांक 48 तारीख 1 अक्तूबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

1429 GI/12-2

New Delhi, the 27th April, 2012

S.R.O. 26.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Store Keeping) posts Recruitment Rules, 2010, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Store Keeping) posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Store Keeping) posts, Recruitment Rules, 2010—

(a) Against serial number 1 relating to the post of Senior Store Keeper—

(i) under Column 7, for the existing 'Note 2' and 'Note 3', the following shall be substituted, namely:—

"**Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission".;

(ii) Under Column (11) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely —

"By promotion failing which by direct recruitment"

(Direct recruitment through Staff Selection Commission).;

(iii) Under Column (12), for existing 'Note 1' the following shall be substituted, namely :—

"**Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission."

(iv) Under Column (13), for existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee [for considering (i) promotion; and (ii) confirmation of direct recruits] consisting of—

1.	Additional Controller or Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Khadki, Pune	—Chairman
2.	A Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Khadki, Pune	—Member
3.	A Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune	—Member
4.	A Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives), Pune	—Member
5.	A Group 'A' officer from Directorate of Administration, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance	—Member".

(b) against serial number 2 relating to the post of Store Keeper—

(i) under Column (7), for existing 'Note 1' and 'Note 2' the following shall be substituted, namely :—

"**Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission".

(ii) under Column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Direct recruitment through Staff Selection Commission."

[F. No. A/86320/RR/SK/DGQA/Adm-10/783/D(QA)/2012]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 dated 16th October, 2010 No. S.R.O. 48 dated 1st October, 2010.